न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—2022/444

1. दलीप सिंह शेखावत ग्राम अडूथा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, (अति.संभागीय आयुक्त जयपुर।)

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि संभागीय आयुक्त जयपुर को गैर मुमकिन जोहड़ को मुक्त करवाने बाबत पत्र दिनांक 06.09.2021 को प्रार्थी द्वारा लगाई गई थी कि सूचना पर जिला कलक्टर झुन्झुनू को कार्यवाही के आदेश दिये गये थे, प्रार्थी ने जिला कलक्टर झुन्झनु का प्रार्थना पत्र व जयपुर के पत्र की फोटो कांपी लगाकर दी गई थी, कोई सूचना मुझे नही दी गई।

रेस्पोडेन्ट ने अपने पत्रांक एफ19(1)()प्रकोष्ठ/संआज/2022/515 दिनांक 05.08.2022 में अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में ग्रामवासियों द्वारा गौचर भूमि पर अवैध कब्जा करने बाबत दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत पत्र के क्रम में सम्पूर्ण सूचना पत्रावली देने हेतु पत्रावली चाही गई, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में चाही गई सूचना 1 पृष्ठ जिसके क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 270 दिनांक 06.11.2021 जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रतिलिपि शुल्क राशि 2/—रूपये राजकोष में जमा करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, अपीलार्थी से प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त होने पर सूचना कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 340 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा प्रेषित की गई, अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना भिजवाई जा चुकी है कृपया उक्त अपील को खारिज करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलाकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 340 दिनांक 08.12.2021 के संलग्न अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

5/12/22

(अन्तरसिं नेहरा)
अपीलेट अधिकारी
संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त जयपुर